

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 17, सोमवार, शाके 1947- दिसम्बर 08, 2025 Agrahayana 17, Monday, Saka 1947- December 08, 2025	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 20, 2025

संख्या प.9(2)राज-1/2025-33551:-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या-15) की धारा 16 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार बाड़मेर जिले की तहसील चौहटन के 03, सेड़वा के 01 एवं शिव के 01 नवघोषित राजस्व ग्रामों के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत विभिन्न रिट याचिकाओं (नीचे वर्णित तालिका के कॉलम संख्या-7 अनुसार) में एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3470/2025 मूलाराम बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2025 को **Covered** करते हुए एवं विभिन्न न्यायालय आदेशों की अनुपालना में जिला कलक्टर, बाड़मेर द्वारा याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर सुनवाई करने उपरांत प्रेषित अनुशंसा अनुरूप राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा निम्नलिखित नवघोषित राजस्व ग्रामों (तालिका के कॉलम संख्या-1 अनुसार) को निरस्त करती हैं :-

क्र. सं.	नाम नवीन राजस्व ग्राम	तह सील	अधिसूचना का विवरण			SBCW No. Order Date
			क्र. सं.	क्रमांक	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7
1	जोधाणी मेघवालों की ढाणी	चौहटन	7	9(56)राज-1/2024 RajKaj Ref. No. 12774981	31.12.2024	4649/2025 ----- 03.04.2025
2	मिश्री की बस्ती		8	9(56)राज-1/2024 RajKaj Ref. No. 12774981	31.12.2024	
3	गोदारा नंदराम की ढाणी		9	9(56)राज-1/2024 RajKaj Ref. No. 12774981	31.12.2024	
4	रिडमलनगर पीपलीबेरी	सेड़वा	27	9(56)राज-1/2024 RajKaj Ref. No. 12774981	31.12.2024	4979/2025 ----- 18.03.2025
5	भंवरसिंह नगर	शिव	5	9(2)राज-1/2025-23660 RajKaj Ref. No. 13347457	06.03.2025	6850/2025 ----- 02.04.2025

जिला कलक्टर, बाड़मेर उक्त राजस्व ग्रामों में शामिल खसरो को पुनः मूल राजस्व ग्रामों में यथावत शामिल करते हुए अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। तालिका के कॉलम संख्या 4 व 5 में उल्लेखित अधिसूचनाओं का शेष विवरण यथावत रहेगा।

हरि सिंह मीना,
शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।